कार्यालय, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक(द.प.कमान), खातीपुरा रोड, जयपुर-12
Office of The Pr. Controller of Defence Accounts(SWC) Khatipura Road -12

सं. हि.क./108/रा.भा.क.स./2017-18 दिनांक 07.08.2017

सेवा में,

रक्षा लेखा महानियंत्रक,
उलान बटार मार्ग, पालम,
दिल्ली छावनी - 110010

विषय : राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का आयोजन एवं उसके कार्यवृत्त का प्रेषण ।

इस कार्यालय में कार्यालय प्रभारी की अध्यक्षता में दिनांक 26.07.2017 को आयोजित की गई राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त आपकी अगामी कार्रवाई हेतु संलग्न करके प्रेषित किया जाता है ।

संलगन : उपरोक्त.

(सुरेश कुमार)
सहायक निदेशक(राजभाषा)

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. उपनिदेशक, (राजभाषा), रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग), हिंदी अनुभाग, कमरा न. 128 एवं 130, सेना भवन, नई दिल्ली - 110011.
2. सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कार्यालय, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) राजस्थान, जयपुर.
3. उपनिदेशक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय(मध्य), निर्माण सदन, कमरा न. 206, 52-ए, केंद्रीय कार्यालय परिसर, भोपाल - 462011.
4. **प्रभारी अधिकारी ई.डी.पी.कक्ष (स्थानीय)** - कृपया संलग्न कार्यवृत्त को इस कार्यालय की वेबसाइट पर लोड करवाया जाए । साथ ही यह भी अनुरोध है कि कार्यालय की वेबसाइट को अद्यतन भी किया जाए ।
5. प्रभारी अधिकारी - सभी अनुभाग(स्थानीय) तथा इस संगठन के सभी अधीनस्थ कार्यालय - इस कार्यालय में दिनांक 26.07.2017 को आयोजित की गई राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त। कृपया इस कार्यालय की वेबसाइट pcdaswc.nic.in से लोड करके अपेक्षित मदों पर कार्रवाई की जाए तथा तत्संबंधी की गई अनुवर्ती कार्रवाई से हिंदी कक्ष को यथाशीघ्र अवगत कराया जाए ।

(सुरेश कुमार)
सहायक निदेशक (राजभाषा)

प्रकार का कोई सुझाव अथवा टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है, अतः उसकी पुष्टि मान ली गई । पूर्व बैठक के कार्यवृत की पुष्टि के उपरांत सदस्य सचिव ने उस बैठक में लिए गए अधोलिखित निर्णयों पर इस कार्यालय में की गई अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में समिति को अवगत कराया कि -

(1) पिछली बैठक के कार्यवृत्त के पृष्ठ-3, मद संख्या - 3, पैरा 2 में निर्णय लिया गया था कि पिछले वर्ष 2016-17 में इस कार्यालय द्वारा प्राप्त किए गए हिन्दी के लक्ष्यों का मदवार विवरण तैयार करके प्रस्तुत किया जाए । इस कार्यालय द्वारा प्राप्त किए गए हिन्दी के लक्ष्यों का मदवार विवरण तैयार करके मई, 2017 में माननीय प्रधान नियंत्रक महोदया को प्रस्तुत कर दिया गया था ।

(2) पृष्ठ-3, पृष्ठ-3, मद संख्या 4(ख) वर्ष 2017-18 में इस संगठन के जिन कार्यालयों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण करना प्रस्तावित है, उनका विवरण रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय को शीघ्र प्रेषित करने का निर्णय लिया गया था ।

इस संबंध में सूचना महानियंत्रक कार्यालय को दिनांक 17.07.2017 के पत्र संख्या 106/हि.क./निरीक्षण/अ.का./17-18 के अंतर्गत भेजी गई थी । इस पर अध्यक्ष महोदया ने निर्देश दिया कि निरीक्षण के संबंध में होने वाली प्रगति से मुख्यालय कार्यालय को यथासमय अवगत कराया जाए ।

(कार्रवाई - हिन्दी कक्ष)

(3) पृष्ठ-4, मद संख्या 5(1) अध्यक्ष महोदया ने निर्देश दिया कि कार्यालय के "रजिस्टरों का रजिस्टर" के अनुसार सभी अनुभागों द्वारा अपने-अपने अनुभाग के रजिस्टरों में मुक्तपर्णी अनुदेश (Fly leaf Instructions) लगाने का काम पूरा किया जाए। इस संबंध में कार्रवाई की गई तथा मुख्य कार्यालय के विभिन्न अनुभागों में प्रयोग किए जाने वाले 238 रजिस्टरों के मुक्तपर्णी अनुदेशों की एक-एक प्रति इस कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड़ कर दी गई हैं।

(4) पृष्ठ संख्या 4, मद संख्या 5 (2) के अंतर्गत निर्देश दिया गया था कि हिन्दी कक्ष में उपलब्ध पुस्तिकों कि सूची कार्यालय कि वेबसाइट पर अपलोड कि जाए । इस संबंध में ई डी पी कक्ष स्थानीय के सहयोग से यह कार्य पूरा कर लिया गया है ।

(5) पृष्ठ-4, मद संख्या 5(1) अध्यक्ष महोदया ने निर्देश दिया था कि "क " क्षेत्र मे स्थित कार्यालय के सभी अनुभागों/ अधिकारियों के नामपट्ट एक बार द्विभाषी रूप में बनवाकर लगाने अनिवार्य हैं, अतः वांछित कार्रवाई कि जाए । इस मामले में प्रशासन अनुभाग 2 द्वारा अपेक्षित कार्रवाई कि जा रही है ।

(6) उपरोक्त के अतिरिक्त इस कार्यालय द्वारा ई पत्रिका -"मरु लेखा " के ग्रीष्म ऋतु अंक का प्रकाशन किया गया । इस पत्रिका को कार्यालय कि वेबसाइट पर अपलोड किया गया है ताकि रक्षा लेखा विभाग के अन्य संगठनों मे कार्यरत के अधिकारी एवं कर्मचारी भी इसका लाभ उठा सकें ।

मद संख्या 2 : पिछली दो तिमाहियों - 03/2017 तथा 06/2017 की रिपोर्टों के आंकड़ों की तुलनात्मक समीक्षा -

सदस्य सचिव ने समिति के सम्मुख 03/2017 तथा 06/2017 की तिमाहियों के आंकड़ों की तुलनात्मक स्थिति का ब्यौरा समीक्षा हेतु प्रस्तुत करते हुए बताया कि -

(क) इस कार्यालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) तथा नियम 5.2 का शत-प्रतिशत अनुपालन किया जाता है।

(ख) कार्यालय में अंग्रेजी में प्राप्त होने वाले पत्रों का उत्तर अधिकाधिक मात्रा में हिन्दी में दिया जाता है। इस कार्यालय 06/2017 कि तिमाही में अँग्रेजी में प्राप्त 4087 पत्रों में से 84% पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया ।

(ग) अपनी ओर से इस कार्यालय द्वारा क, ख और ग तीनों क्षेत्रों को जारी हिन्दी के मूल पत्राचार में लगातार वृद्धि हो रही है तथा 06/2017 की तिमाही में 95% पत्रों का प्रेषण हिन्दी में किया गया है। मुख्य कार्यालय का प्रत्येक अनुभाग 90% से अधिक पत्राचार हिन्दी में कर रहा है।

(घ) चर्चित तिमाही - मुख्य कार्यालय के सभी अनुभागों द्वारा अधिकाधिक कार्यालय टिप्पणी हिन्दी में लिखी जाती हैं। तिमाही 03/2017 एवं 06/2017 दोनों में ही 97% टिप्पणियाँ हिन्दी में लिखी गई हैं।

हिन्दी पत्राचार के तुलनात्मक आंकड़ों पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदया ने निर्देश दिया कि एक बार प्राप्त किए गए हिन्दी पत्राचार के लक्ष्य में गिरावट नहीं आनी चाहिए ।

(कार्रवाई - सभी स्थानीय अनुभाग तथा अधीनस्थ कार्यालय)

मद संख्या 3 : हिन्दी पखवाड़े का आयोजन -

सदस्य सचिव ने समिति को अवगत कराया कि सितम्बर माह में गत वर्षो की भांति इस वर्ष भी हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया जाना है । इस पर अध्यक्ष महोदया ने निर्देश दिया कि इस संबंध में अलग से कार्यालय टिप्पणी प्रस्तुत कि जाए जिसमे संभावित प्रतियोगिताओ और पुरस्कारों के संबंध मे विस्तृत ब्यौरा दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यालय के सभी अधिकारी/कर्मचारी उत्साहपूर्वक भाग लें ।

(कार्रवाई - सभी स्थानीय अनुभाग तथा अधीनस्थ कार्यालय)

-4

मद संख्या 4 : महानियंत्रक कार्यालय/मंत्रालय से प्राप्त पत्रों पर चर्चा -

महानियंत्रक कार्यालय से प्राप्त दिनांक 03/07/2017 पत्र संख्या 0746/हि. क./हि.प./मु.का./जि.6 के अनुसार हिन्दी प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत निर्धारित राशि मे भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा के दिनांक 14 सितंबर 2016 के पत्र संख्या 12013/01/2011-रा.भा.(नीति) के अनुसार प्रोत्साहन राशि में निम्नानुसार संशोधन किया गया है -

	कुल पुरस्कार	पूर्व निर्धारित राशि	संशोधित राशि
पहला पुरस्कार	2 पुरस्कार	रु.1600/-	रु. 5000/-
दूसरा पुरस्कार	3 पुरस्कार	रु. 800/-	रु. 3000/-
तीसरा पुरस्कार	5 पुरस्कार	रु. 600/-	रु. 2000/-

वर्ष 2016-17 में हिन्दी प्रोत्साहन योजना में भाग लेने वाले अधिकारी/ कर्मचारियों पर संशोधित दरें लागू होंगी । समिति के उपधायक्ष एवं अपर नियंत्रक महोदय ने जानना चाहा कि केंद्र सरकार के किसी एक कार्यालय से अधिकतम कितने अधिकारी/कर्मचारी भाग ले सकते हैं ? इस पर सदस्य सचिव ने अवगत कराया कि इस योजना में एक कार्यालय से अधिकतम 10 कार्मिकों को प्रोत्साहित किया जा सकता है ।

सदस्य सचिव ने समिति को अवगत कराया कि उनमें फ़रीदकोट, भिसियाना और भटिण्डा स्थित सभी 9 कार्यालयों का निरीक्षण कार्य जून,2017 और जुलाई,2017 में पूरा किया जा चुका है। उक्त स्थानों पर निरीक्षण के साथ एक-एक संयुक्त कार्यशाला का आयोजन भी किया गया है। इस पर अध्यक्ष महोदया ने निर्देश दिया कि उनकी निरीक्षण रिपोर्टें यथाशीघ्र प्रेषित कर दी जाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निरीक्षण के लक्ष्य को पूरा किया जाए।

(कार्रवाई - हिन्दी कक्ष स्थानीय)

मद संख्या - 5. अध्यक्ष महोदया की अनुमति से अन्य विषय -

चर्चा हेतु अन्य कोई विषय न होने के कारण सदस्य सचिव द्वारा समिति के अध्यक्ष एवं अन्य सभी सदस्य अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए बैठक आगामी तिमाही तक बैठक स्थगित कर दी गई।

(सुरेश कुमार)
सहायक निदेशक (राजभाषा)